भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3012 का उत्तर

रेल के स्क्रैप/अप्रचलित परिसंपत्तियों का निपटान

3012. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे को स्क्रैप, अपशिष्ट सामग्री और अप्रचलित परिसंपत्तियों की नीलामी से प्राप्त कुल राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्टेशनों और यार्डों पर लंबे समय से खराब पड़े डिब्बों, मालगाड़ी के डिब्बों, अप्रयुक्त पटरियों और अन्य स्क्रैप की बड़ी मात्रा का संज्ञान लिया है जिसके परिणामस्वरूप क्षरण, अवमूल्यन और राजस्व की हानि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का राजस्व को अधिकतम करने और परिसंपत्ति प्रबंधन में सुधार लाने के लिए अनुपयोगी स्क्रैप की पहचान करने और उसकी शीघ्र नीलामी करने के लिए सभी स्टेशनों और मंडलों को बाध्यकारी/समयबद्ध अनुदेश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): अनुरक्षण, उत्पादन गतिविधियों, रेलपथ नवीनीकरण और अप्रचलित चल स्टॉक आदि के दौरान उत्पन्न स्क्रैप भारतीय रेल के लिए गैर-किराया राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए स्क्रैप बिक्री के आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष	स्क्रैप बिक्री (करोड़ रुपए में)
2020-21	4575.29
2021-22	5316.24
2022-23	5756.98
2023-24	5773.26
2024-25	6641.78

(ख) और (ग): भारतीय रेल में स्क्रैप उत्पादन और निपटान सतत प्रक्रिया है। पारदर्शिता, व्यापक भागीदारी, प्रतिस्पर्धी मूल्य और अधिकतम राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए स्क्रैप निपटान भारतीय रेल ई-प्रापण प्रणाली का उपयोग करके ई-नीलामी के माध्यम से किया जाता है। स्क्रैप बिक्री के आंकड़ों ने निपटान तंत्र के बेहतर परिचालन को दर्शाते हुए लगातार वृद्धि प्रदर्शित की है। विभिन्न स्तरों पर निगरानी तंत्र मौजूद हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्क्रैप की पहचान की गई है, उसे अलग किया गया और उसका तुरंत निपटान किया गया है।

सरकार ने स्क्रैप की पहचान और निपटान तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें भारतीय रेल ई-प्रापण प्रणाली के माध्यम से ई-नीलामी, शून्य स्क्रैप शेष लक्ष्य, विशेष अभियान आदि शामिल हैं। ये उपाय भारतीय रेल द्वारा परिसंपत्ति उपयोगिता अवधि प्रबंधन में सुधार करने, निषिद्ध सवारी डिब्बों, माल डिब्बों, अप्रयुक्त पटरियों से मूल्यह्रास/क्षरण नुकसान को कम करने और स्क्रैप निपटान से राजस्व बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के हिस्से हैं।

****